

## प्रेस ब्रीफ – लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा) 2020-21

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपने प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के पटल पर रखने हेतु राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। तदनुसार, 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा)-राजस्थान सरकार राज्य विधानसभा के पटल पर दिनांक 22.09.2022 को रखा जा चुका है। प्रक्रियानुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा की जन लेखा समिति को सौंप दिया जाता है।

इस प्रतिवेदन के दो भाग हैं:

**भाग-क** में राजस्व उपार्जन विभागों यथा वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा राज्य आबकारी की लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए लेखापरीक्षा आक्षेप सम्मिलित हैं।

**भाग-ख** में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किये गये व्ययों से संबंधित लेखापरीक्षा आक्षेप सम्मिलित हैं।

### भाग – क राजस्व क्षेत्र

#### I. सामान्य

- राजस्थान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2019-20 में ₹ 1,40,114 करोड़ के समक्ष वर्ष 2020-21 में ₹ 1,34,308 करोड़ थीं। सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व राशि ₹ 73,936 करोड़ में कर राजस्व ₹ 60,283 करोड़ तथा कर- भिन्न राजस्व ₹ 13,653 करोड़ शामिल था। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 60,372 करोड़ (विभाजन योग्य केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा ₹ 35,576 करोड़ एवं सहायतार्थ अनुदान ₹ 24,796 करोड़) थीं।

(अनुच्छेद 1.1)

- मार्च 2021 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि चार राजस्व उपार्जन विभागों अर्थात् वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन तथा मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभाग में 1,799 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 5,308 अनुच्छेद सितम्बर 2021 के अंत तक बकाया थे जिनमें ₹ 1,656.71 करोड़ अन्तर्निहित थे।

(अनुच्छेद 1.8)

#### II. बिक्री, व्यापार, आपूर्तियों, इत्यादि पर कर

- कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर योग्य टर्नओवर का ₹ 131.02 करोड़ के स्थान पर ₹ 90.00 करोड़ का गलत निर्धारण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.41 करोड़ की राशि के कर का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.4)

- रियायती दर पर विक्रय किये जाने वाले माल पर ₹ 0.44 करोड़ की अनियमित आईटीसी अनुमत्य की गई।

(अनुच्छेद 2.5)

- कर निर्धारण प्राधिकारियों ने प्रवेश कर के आरोपण के लिए वेब आधारित एप्लिकेशन *राजविस्टा* पर उपलब्ध सूचना का उपयोग नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.81 करोड़ के प्रवेश कर और ₹ 1.02 करोड़ के ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.6)

'जीएसटी के अन्तर्गत प्रतिदाय (रिफंड) दावों के प्रसंस्करण' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा निष्पादित की गई। पाई गई मुख्य अनियमितताएं इस प्रकार हैं:

- 247 प्रकरणों में रिफंड की स्वीकृति में 1 से 522 दिनों तक का विलम्ब हुआ। विभाग ने ₹ 16.82 लाख ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया जो इन सभी प्रकरणों में दावेदारों को देय थी।

(अनुच्छेद 2.7.6.2)

- 57 प्रकरणों में शून्य-दर आपूर्ति के कारण अंतरिम रिफंड की स्वीकृति में 1 से 324 दिनों तक का विलम्ब हुआ।

(अनुच्छेद 2.7.6.3)

- 24 प्रकरणों में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंतर्गत ₹ 7.09 करोड़ के रिफंड की अनियमित स्वीकृति दी गई।

(अनुच्छेद 2.7.6.4)

- 16 प्रकरणों में माल या सेवाओं की शून्य-दर आपूर्ति के अंतर्गत ₹ 0.36 करोड़ के रिफंड की अनियमित स्वीकृति दी गई।

(अनुच्छेद 2.7.6.5)

- शून्य-दर आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में अंतरिम रिफंड की स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 2.62 करोड़ की राशि के अंतरिम रिफंड की अनियमित स्वीकृति दी गई।

(अनुच्छेद 2.7.6.6)

- राज्य जीएसटी पोर्टल में निर्धारित क्रम में आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी की सही रिफंड योग्य राशि की गणना करने के लिए सिस्टम सत्यापन जांच का अभाव है। जिसके परिणामस्वरूप 208 प्रकरणों में सीजीएसटी और एसजीएसटी की स्वीकृत रिफंड राशि पात्र राशि से अधिक थी।

(अनुच्छेद 2.7.7.1)

- माल के निर्यात, जहां निर्यात प्राप्तियों की वसूली नहीं हुई, की पहचान करने के लिए तंत्र उपलब्ध नहीं था। ऐसी सूचना की उपलब्धता के अभाव में, विभाग ने ऐसे प्रकरणों की पहचान नहीं की जहां निर्यात प्राप्तियों की वसूली का प्रमाण उपलब्ध नहीं था।

(अनुच्छेद 2.7.7.3)

- 34 करदाताओं ने इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंतर्गत आईटीसी के रिफंड के दावे, रिफंड जिस अवधि से संबंधित है उसके लिये विवरणी प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के दो वर्ष बाद किये थे।

(अनुच्छेद 2.7.7.4)

- दो करदाताओं द्वारा प्राप्त की गई आईटीसी में नेट आईटीसी की गणना करने के लिए आगत सेवाओं और पूंजीगत माल पर आईटीसी को भी सम्मिलित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 2.34 करोड़ के रिफंड का अनियमित भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 2.8.1)

- क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय कर के ड्यूटी ड्रॉबैक का पता लगाने में विफल रहे तथा करदाताओं द्वारा दावा किए गए रिफंड को अनुमत्य किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ की राशि के रिफंड का अनियमित भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 2.8.2)

‘जीएसटी के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट’ पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा निष्पादित की गई। पाई गई मुख्य अनियमितताएं इस प्रकार हैं:

- 674 करदाताओं द्वारा अग्रेषित एसजीएसटी का ट्रांजिशनल क्रेडिट कर निर्धारण/संशोधन आदेशों के अनुसार उपलब्ध आईटीसी से अधिक था जिसके परिणामस्वरूप आईटीसी राशि ₹ 164.68 करोड़ का अधिक अग्रेषण किया गया जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना था।

(अनुच्छेद 2.9.6.1)

- एक करदाता ने पुरानी अवधि के अंतिम शेष के रूप में ₹ 32.75 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया जिसमें कर मुक्त माल के रूप में बेचे गये माल की खरीद पर ₹ 26.65 लाख की आईटीसी शामिल थी जो अनियमित रूप से 2016-17 से अग्रेषित की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप ट्रान-1 में ₹ 26.65 लाख की आईटीसी का अधिक दावा हुआ।

(अनुच्छेद 2.9.6.2)

- 16 करदाताओं द्वारा ₹ 5.42 करोड़ के अनियमित ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया गया था जिसे बाद में उनके द्वारा जमा कर दिया गया था या करदाताओं/विभाग द्वारा रिवर्स कर दिया गया था। तथापि, न तो करदाताओं ने ब्याज का भुगतान किया, न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 0.90 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 2.9.6.3)

- चयनित 1325 प्रकरणों में से विभाग ने 459 प्रकरणों का सत्यापन किया। लेखापरीक्षा ने इन 459 प्रकरणों में से 86 मामलों में अनियमितताएं देखीं, जिनका विभाग द्वारा पता नहीं लगाया गया था।

(अनुच्छेद 2.9.6.4)

- 644 करदाताओं के मामले में ट्रान-1 की तालिका 5(सी) में बकाया घोषणा प्रपत्रों (सी, एच एवं एफ) का विवरण जैसे बकाया घोषणा प्रपत्रों से संबंधित टर्नओवर, साथ ही देय अंतर कर राशि एवं बकाया घोषणा प्रपत्रों से संबंधित रिवर्स करने योग्य आईटीसी की राशि उपलब्ध नहीं थी। विभाग ने करदाताओं से घोषणा प्रपत्रों का आवश्यक विवरण नहीं माँगा और जीएसटी पोर्टल ने भी इन विवरणों के खाली छोड़े जाने के बाद भी ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की अनुमति दी।

(अनुच्छेद 2.9.6.5)

- तेरह करदाताओं ने स्टॉक पर इनपुट और अर्द्धनिर्मित या निर्मित माल में अंतर्विष्ट इनपुट के संबंध में नियत दिवस पर एसजीएसटी के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। तथापि, संबंधित सहायक सूचना एवं अभिलेख जैसे अंतिम स्टॉक का विवरण और सहायक बीजक विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे।

(अनुच्छेद 2.9.6.6)

- एक करदाता ने पूँजीगत माल पर अप्रयुक्त एसजीएसटी क्रेडिट के संबंध में ₹ 52.40 लाख के एसजीएसटी ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया। इसके अतिरिक्त, दो करदाताओं ने नियत दिवस को या उसके बाद प्राप्त इनपुट जिसके संबंध में आपूर्तिकर्ता द्वारा मौजूदा कानून के तहत कर का भुगतान किया गया था पर एसजीएसटी क्रेडिट ₹ 29.44 लाख की राशि का दावा किया। तथापि, निर्धारित सूचना जैसे सहायक बीजकों के साथ पूँजीगत माल और अंतिम स्टॉक का विवरण उपलब्ध नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा इन ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के प्रकरणों का सत्यापन नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.9.6.7)

- 71 वृत्तों के क्षेत्राधिकारियों द्वारा जीएसटी बोवेब पोर्टल पर उचित एमआईएस की कमी का कारण बताते हुए केवल सीमित सूचनाएं प्रदान की गयीं। शेष 23 वृत्तों ने वृत्तों के स्तर पर संकलित सूचनाओं के आधार पर आवश्यक सूचना उपलब्ध कराई। तथापि, किसी भी सहायक दस्तावेज के अभाव में, इन वृत्तों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं की सत्यता का पता नहीं लगाया जा सका।

(अनुच्छेद 2.9.6.9)

- जीएसटी-पूर्व व्यवस्था के तहत उपलब्ध आईटीसी को सत्यापित करने में विफलता के परिणामस्वरूप करदाताओं द्वारा ₹ 2.48 करोड़ के अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ लिया गया।

(अनुच्छेद 2.10)

### III. भू-राजस्व

- राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों को छूट अधिसूचना में शामिल करने में विफलता के परिणामस्वरूप जयपुर जिले की तहसील फुलेरा में कृषि से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन के लिए राशि ₹ 0.90 करोड़ के संपरिवर्तन शुल्क की वसूली का अभाव रहा।

(अनुच्छेद 3.4.1)

- टोंक एवं जयपुर जिलों की सात तहसीलों में बिना संपरिवर्तन के संस्थागत, औद्योगिक, आवासीय कॉलोनी एवं व्यावसायिक प्रयोजनार्थ कृषि भूमि के उपयोग के परिणामस्वरूप ₹ 14.21 करोड़ के संपरिवर्तन शुल्क की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 3.4.2)

- जयपुर जिले की तहसील चौमू में कृषि से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग के संपरिवर्तन के लिए गलत क्षेत्र के आधार पर संपरिवर्तन दर की गणना के परिणामस्वरूप ₹ 0.14 करोड़ के संपरिवर्तन शुल्क की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.4.3)

- दौसा, जयपुर एवं टोंक जिलों की चार तहसीलों में गलत दर लागू कर कृषि भूमि के संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप ₹ 0.18 करोड़ के संपरिवर्तन शुल्क की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.4.4)

#### IV. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

- पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा अचल सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप कुल ₹ 1.52 करोड़ मुद्रांक के कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 4.4)

- लीज विलेखों के गलत मूल्यांकन के परिणामस्वरूप कुल ₹ 1.20 करोड़ के मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 4.5)

- पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा संस्थागत भूमि के गलत मूल्यांकन के परिणामस्वरूप कुल ₹ 0.18 करोड़ के मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 4.6)

- पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा कन्वेयंस दस्तावेज को सही वर्गीकृत करने में विफलता के परिणामस्वरूप कुल ₹ 0.27 करोड़ के मुद्रांक कर तथा सरचार्ज का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 4.7)

- पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के पास उपलब्ध सूचनाओं को उपयोग में लेने में विफलता के परिणामस्वरूप कुल ₹ 0.31 करोड़ के मुद्रांक कर तथा सरचार्ज का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 4.8)

#### V. राज्य आबकारी

- जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा देशी मदिरा अनुज्ञाधारियों से निर्धारित मासिक गारंटी राशि वसूल करने में विफलता से राजस्व ₹ 9.14 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 5.5)

- जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर की कम उठाई गई मात्रा के लिए निर्धारित अतिरिक्त राशि वसूल करने में विफलता से राजस्व ₹ 9.75 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 5.6)

- जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा देशी शराब अनुज्ञाधारियों से कम उठाई गई मात्रा पर आबकारी शुल्क की अंतर राशि वसूल करने में विफलता से राजस्व ₹ 5.54 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 5.7)

- नीति प्रावधान के अनुरूप देशी मदिरा के परिवहन पर परमिट शुल्क की दर में वृद्धि को अधिसूचित करने में विफलता के कारण राजस्व ₹ 16.07 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 5.8)

## भाग - ख व्यय क्षेत्र

### VI. सामान्य

- राजस्थान सरकार के 66 विभाग, 234 स्वायत्तशासी निकाय एवं 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जो कि अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं, जिनकी लेखापरीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), राजस्थान, जयपुर द्वारा की जाती है।

(अनुच्छेद 6.1)

- वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों की 24,258 इकाइयों में से 699 इकाइयों की लेखापरीक्षा आयोजित की गई। आगे, 16,537 मानव दिवस (वित्तीय लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु) उपयोजित किये गये।

(अनुच्छेद 6.3)

- व्यय क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 को समाप्त वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किये गये कुल 75 अनुच्छेदों को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संबंधित विभागों से, इनमें से 16 अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ निर्धारित समय पर प्राप्त हो गई एवं 51 अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ औसतन तीन से चार माह के विलम्ब से प्राप्त हुई। आठ अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ लम्बित थीं।

(अनुच्छेद 6.6)

### VII. व्यय क्षेत्र की अनुपालन लेखापरीक्षा

- राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा बीजों को आगामी सीजन में वितरण के लिए भंडारित करने और पुनः प्रमाणित कराने के बजाय उनको अनाज के रूप में बेचने/नीलामी करने के अविवेकपूर्ण निर्णय एवं उचित आयोजना के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 10.15 करोड़ की हानि।

(अनुच्छेद 7.1)

- राजस्थान राज्य भण्डार निगम द्वारा मौजूदा लाभकारी अनुबंध के तहत उपलब्ध भंडारण क्षमता का उपयोग करने के बजाय, स्वप्रेरणा से एकल स्रोत उपापन की प्रक्रिया के माध्यम से एक कम लाभकारी राजस्व बंटवारे वाला अनुबंध निष्पादित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक निजी फर्म को ₹ 1.57 करोड़ का अदेय लाभ हुआ ।

(अनुच्छेद 7.2)

- सहकारिता विभाग की 'न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना' के तहत तिलहन एवं दलहन की लक्षित मात्रा की खरीद करने में विफलता से किसान अपनी उपज का प्रत्याभूत मूल्य प्राप्त करने से वंचित रहे ।

(अनुच्छेद 7.3)

- मत्स्य विभाग द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का उल्लंघन करते हुए उच्चतम बोलीदाता के विफल रहने के बाद बचे एकमात्र बोलीदाता को निर्धारित नियमानुसार अवसर प्रदान न करने के निर्णय के कारण अतिरिक्त ₹ 3.97 करोड़ अर्जित करने के अवसर की हानि हुई ।

(अनुच्छेद 7.4)

- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा पीडीएस केरोसिन की अभ्यर्पित की जाने वाली मात्रा का समय पर आकलन नहीं करने और अपात्र लाभार्थियों की छंटनी नहीं करने के परिणामस्वरूप डीबीटीके के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन अर्जित करने में विफलता ।

(अनुच्छेद 7.5)

- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को अनुदानित चीनी के वितरण में देरी/गैर वितरण और आवश्यकता से अधिक चीनी की खरीद के परिणामस्वरूप भारी स्टॉक इकट्ठा हो जाना और अंततः ₹ 2.73 करोड़ मूल्य की रियायती चीनी मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाना ।

(अनुच्छेद 7.6)

- श्रमिक आवासों के निर्माण के लिए स्थान का चयन करने एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि का कब्जा लेने में राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल के दुल-मुल रवैये के परिणामस्वरूप ₹ 13.74 करोड़ छह वर्षों से अधिक समय के लिए अवरुद्ध रहे एवं भवन श्रमिकों को समूह आवास योजना के लाभों से वंचित रहना पड़ा ।

(अनुच्छेद 7.7)

- राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (46) के तहत छूट प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप सावधि जमा पर अर्जित ब्याज की आय पर बैंकों द्वारा की गई स्रोत पर कर कटौती के प्रतिदाय की हानि ।

(अनुच्छेद 7.8)

- भवनों के निर्माण हो जाने के सात से अधिक वर्षों के बाद भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ट्रौमा केयर केन्द्रों के प्रारम्भ नहीं होने के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 5.45 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ बल्कि दुर्घटना पीड़ित भी तुरंत जीवन रक्षक उपचार की सुविधा से वंचित रहे ।

(अनुच्छेद 7.9)

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजस्थान लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के विपरीत अतिरिक्त कार्यों के निष्पादन पर अनियमित व्यय ।

(अनुच्छेद 7.10)

- चिकित्सा शिक्षा विभाग ने भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त किये बिना ही पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिए जिसके कारण पाठ्यक्रम बंद हो गए, जिससे नामांकित छात्रों के करियर सम्भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा परिणामस्वरूप आधारभूत संरचना व उपकरणों पर ₹ 1.40 करोड़ का व्यय निष्फल रहने के साथ-साथ ₹ 1.15 करोड़ की अप्रयुक्त राशि पांच वर्ष से भी अधिक समय तक अवरुद्ध रही ।

(अनुच्छेद 7.11)

- अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं वक्फ़ बोर्ड द्वारा संस्वीकृति के नियमों एवं शर्तों की पालना न करने तथा बालिका छात्रावास के निर्माण में असामान्य देरी के फलस्वरूप ₹ 2.10 करोड़ का व्यय निष्फल रहा एवं लाभार्थी अभीष्ट सुविधाओं से वंचित रहे ।

(अनुच्छेद 7.12)

- अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं वक्फ़ बोर्ड द्वारा स्वयं सहायता समूहों को ऋण संवितरण के समय लघु वित्त योजना के दिशानिर्देशों की अनुपालना में विफल रहने के परिणामस्वरूप न केवल राशि ₹ 3.28 करोड़ के ऋण व दंडनीय ब्याज की वसूली नहीं हुई बल्कि लघु वित्तपोषण के मुख्य उद्देश्य की भी पूर्ति नहीं हो सकी ।

(अनुच्छेद 7.13)

- कार्मिक विभाग द्वारा कार्यकारी एजेंसी को अतिक्रमण मुक्त भूमि उपलब्ध कराने में ढिलाई और सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 8 का उल्लंघन कर अग्रिमों के हस्तांतरण करने के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 7.50 करोड़ पीडी खाते में तीन वर्षों से अधिक समय के लिए अवरुद्ध रहे बल्कि बजट घोषणा के उद्देश्यों को भी प्राप्त नहीं किया गया ।

(अनुच्छेद 7.14)